रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 51] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 53(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग वैज्ञानिक समूह 'क' पद नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है और लोप किया जाना है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसके अधीन इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं) में समूह 'क' वैज्ञानिक पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, समूह 'क' वैज्ञानिक पद भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक 'सी', वैज्ञानिक 'डी', वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'एफ' के पदों पर नियुक्ति के मामले में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारसाधक मंत्री से अभिप्रेत है और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति प्राधिकरण मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) होगी।

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिव अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय निर्धारण समिति' से नियम 13 के उप–नियम (3) में उल्लिखित स्तर–II की विभागीय निर्धारण समिति (बाह्य) अभिप्रेत है;

(घ) "विभागीय पुष्टि समिति' से नियम 13 के उप–नियम (5) में उल्लिखित समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "विभागीय प्रोन्नति समिति' से नियम 13 के उप–नियम (6) में उल्लिखित समिति अभिप्रेत है;

(च) "विभागीय पिअर पुनर्विलोकन समिति' से नियम 13 के उप–नियम (4) में उल्लिखित समिति अभिप्रेत है;

(छ) "विशेषज्ञ चयन समिति' से नियम 13 के उप–नियम (1) में उल्लिखित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "मंत्रालय' से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिप्रेत है;

(झ) "छानबीन समिति' से नियम 13 के उप–नियम (2) में उल्लिखित स्तर–I की छानबीन समिति (आंतरिक) अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूची' से नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

3. लागू होना – ये नियम, नियम 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. पदनाम, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान– (1) पदों के नाम, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या इससे संबद्ध वेतनमान सारणी में नीचे यथानिर्दिष्ट होंगे :

पदनाम	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
वैज्ञानिक 'बी'	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी	वेतन बैंड–**3 15600 –39100**+ग्रेड वेतन **5400** रु.
वैज्ञानिक 'सी'		वेतन बैंड–**3 15600-39100**+ ग्रेड वेतन **6600** रु.
वैज्ञानिक 'डी'		वेतन बैंड–**3 15600–39100**+ ग्रेड वेतन **7600** रु.
वैज्ञानिक 'ई'		वेतन बैंड–**4 37400–67000**+ ग्रेड वेतन **8700** रु.
वैज्ञानिक 'एफ'		वेतन बैंड–**4 37400–67000**+ ग्रेड वेतन **8900** रु.
वैज्ञानिक 'जी'		वेतन बैंड–**4 37400–67000**+ ग्रेड वेतन **10000** रु.

5. पद की संख्या– (1) मंत्रालय (जिसके अधीन सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय भी हैं) में पदों की समेकित संख्या अनुसूची –1 की सारणी–1 में यथा निर्दिष्ट होगी ।

(2) मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पदों का वितरण अनुसूची –1 की सारणी 2 से सारणी 8 में यथा निर्दिष्ट होगी ।

6. शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव– इन पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव अनुसूची–2 में यथा निर्दिष्ट होगी ।

7. भर्ती की पद्धति– (1) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों को छोड़कर अनुसूची –1 में विनिर्दिष्ट सभी पदों के लिए चयन के प्रयोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्य–क्षेत्र से छूट होगी ।

(2) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों को छोड़कर सभी पदों के लिए भर्ती सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसके अधीन अल्पकालीन संविदा भी है) या आमेलन द्वारा की जाएगी ।

परन्तु यह कि वैज्ञानिक 'बी' के पदों में रिक्तियों के पच्चीस प्रतिशत को नियम 11 में यथानिर्दिष्ट प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा या आमेलन), जैसा सक्षम अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों की भर्ती उक्त पदों के संबंध में लागू भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी ।

(4) किसी पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं अनुसूची–2 में यथा निर्दिष्ट होंगी और पर्यावरण, वानिकी या वन्यजीव के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट विद्याशाखा की शैक्षणिक अर्हता के मंत्रालय की अपेक्षा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा विनिश्चित होगी ।

(5) पद के लिए अनुसूची–2 में निर्दिष्ट अनुभव आवेदक द्वारा पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात किसी औद्योगिक या शैक्षणिक संस्था या वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में प्राप्त अनुभव होगा :

परंतु यह कि ऐसे अनुभव, अर्थात् पर्यावरण, वानिकी या वन्यजीव के क्षेत्र में अनुभव पर भर्ती के समय मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।